an>

Title: Issue regarding disparity in old age and widow pension among states in the country.

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) मेरा आज बहुत ही संवेदनशील विषय को सदन के सामने रखना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

महोदया, देश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की राशि में बहुत असमानता है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जहाँ वह 300 रूपए मिलती है, हरियाणा में एक हजार रूपये है, दिल्ली में एक हजार रूपये से लेकर पन्द्रह सौ रूपये तक है।...(व्यवधान) देश में यह विसंगति है।...(व्यवधान) वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की राशि में देश में बहुत असमानता है।...(व्यवधान) इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) इस विसंगति को दूर करने के लिए इसे डिजिटल इन्डिया से जोड़ें और पूरे देश में एक जैसी पेंशन मिले, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत समस्या आती है।...(व्यवधान) जैसे ये तीनों वर्ग हैं, चाहे वह विधवा हो, चाहे वह वृद्ध हो या हमारे दिव्यांग बन्धु हों, इन सभी को रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत परेशानी आती है।...(व्यवधान) उनका एकीकृत रजिस्ट्रेशन हो, एक ही स्थान पर उनका सर्टिफिकेशन हो जाये।...(व्यवधान) डिजिटल इंडिया में जो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बाकी भी कार्रवाई होती है, वह एक स्थान पर हो जाए, ताकि उनको कम से कम परेशानी हो। ...(व्यवधान) महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक रूप से कम से कम एक हजार रूपए विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिले। ...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री रोड़मल नागर,

श्री लखन लाल साहू,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री सुधीर गुप्ता और

श्री आलोक संजर को प्रो. चिंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।